



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112020-223213
CG-DL-E-20112020-223213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3648]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/ कार्तिक 28, 1942

No. 3648]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

का.आ. 4150(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 830(अ) तारीख 21.02.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा केरल राज्य के कन्नूर जिले में NH66 के कि.मी. 148 से कि.मी.170.6 (O/o स्पेशल तहसीलदार (LA) NH , कन्नूर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18.08.2020 " को "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और "मातृभूमि" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केरल राज्य के कन्नूर जिले में NH66 के कि.मी. 148 से कि.मी.170.6 (O/o स्पेशल तहसीलदार (LA) NH , कन्नूर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: केरल		जिले का नाम: कन्नूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कन्नूर				
	गांव का नाम: चेम्बिलोडे (चलाकीज़हैककेकरा)				
1	50 / 4	सरकारी(गवर्नमेंट)	पुरंबोके	0.0357	प व डी रोड (५० ४)
2	51 / 6	सरकारी(गवर्नमेंट)	पुरंबोके	0.0053	पव्ड रोड (५१ ६)
	गांव का नाम: चिरक्कल (पुज़हती)				
3	100 / 9	निजी	गार्डन	0.0418	१. सैनाबा कुणिक्कंडी हाउस २ सीनाथ प टी हाउस ३ म मूसन प टी हाउस (१०० १४)
4	45 / 1	निजी	गार्डन	0.0002	श्यामला (४५ ११)
	गांव का नाम: एदक्कड़ (चलपदिनहरेकरा)				
5	17 / 1	सरकारी(गवर्नमेंट)	पुरंबोके	0.2025	रेलवे प्रोपोएर्टय (१७ २)
6	17 / 1	सरकारी(गवर्नमेंट)	पुरंबोके	0.3839	रेलवे प्रोपोएर्टय (१७ ३)
7	19 / 3	सरकारी	पुरंबोके	0.487	प व डी रोड (१९ ८)
8	8 / 3	सरकारी	पुरंबोके	0.0057	गोवत पुरंबोके (८ ४)

	गांव का नाम: वलियान्नूर (वरं)				
9	53 / 8	निजी(प्राइवेट)	गार्डन	0.003	बाबू हरीन्द्रन कुत्तिरमान गोविन्द अम्बादि क म (५३ १३)
			कुल	1.1651	

[फा. सं. PD/PIU-JAL/NH-503A/237/2017/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th November, 2020

S.O. 4150(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 830(E) Dt. 21.02.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH66 on the stretch of land from Km 148 to Km 170.6 (O/o Special Tahsildar (LA) NH II, Kannur) in the district of KANNUR in the State of KERALA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The New Indian Express” and “Mathrubhumi” both dated 18.08.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH66 in the stretch of land from Km 148 to Km 170.6 (O/o Special Tahsildar (LA) NH II, Kannur) in the district of KANNUR in the State of KERALA

State: KERALA		District: KANNUR			
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kannur				
	Village: Chembilode (Chalakizhakkekara)				
1	50 / 4	Government	Puramboke	0.0357	P W D Road 50/4
2	51 / 6	Government	Puramboke	0.0053	PWD Road

					51/6
	Village: Chirakkal (Puzhathi)				
3	100 / 9	Private	Garden	0.0418	1. Sainaba Kunhikkandy House, 2. Seenath P T House, 3.M Moosan P T House 100/14
4	45 / 1	Private	Garden	0.0002	Shyamala 45/11
	Village: Edakkad (Chalapadinharekara)				
5	17 / 1	Government	Puramboke	0.2025	Railway Propoerty 17/2
6	17 / 1	Government	Puramboke	0.3839	Railway Propoerty 17/3
7	19 / 3	Government	Puramboke	0.487	P W D Road 19/8
8	8 / 3	Government	Puramboke	0.0057	Govt. Puramboke 8/4
	Village: Valiyannur (Varam)				
9	53 / 8	Private	Garden	0.003	Babu (Hareendran), Kuttiraman, Govindan, Ambadi K M 53/13
			TOTAL	1.1651	

[F. No. PD/PIU-JAL/NH-503A/237/2017/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.